IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कोरोना काल में मनरेगा बना ग्रामीण भारत की जीवन-रेखा

अंकेश कुमार शोधार्थी (शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर)
डॉ प्रतिभा जैन सह प्राध्यापक (शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर)

सारांश-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यह योजना ग्रामीण भारत के विकास एवं उत्थान के लिए ऐतिहासिक क्रांतिकारीयोजना रही,इस योजना को 2005 में लागू किया गया।इस अधिनियम मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य शारीरिक श्रम करना चाहते हैं उन्हें 1 वर्ष में 100 दोनों का गारंटी कृत रोजगार उपलब्ध कराना था। यह योजना ग्रामीण भारत के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय के उपकरण के रूप में लाया गया। यह योजना कोरोना महामारी जैसे संकटकालीन स्थिति में मरेगा ने लाखों प्रवासी मजदूर एवं ग्रामीण भारत की बेरोजगारी को कम करने में अपना अहम योगदान दिया।

यह योजना आर्थिक स्थिरता महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय परिसंपत्तियों के निर्माण एवं ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास में इस योजना का आहम योगदान है।

मुख्य शब्द- मनरेगा योजना, कोरोना काल, सामाजिक न्याय, प्रवासी मजदूर, ग्रामीण विकास, रिवर्स प्रवास।

प्रस्तावना-

जब शहरों की रोशनी बुझी, तब गांव की खेतों में मनरेगा ने उम्मीद की एक नई लौ जलाई।" भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां आज भी जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामीण भारत में निवास करता है। ग्रामीण भारत में पर्याप्त रोजगार के साधन नहीं होने के कारण आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता और असमानता व्यापक रूप से देखा जा सकता है। इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 लाया गया।

इस अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना है। ताकि वह लोग सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। यह योजना आर्थिक सहायता के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में अपना अहम योगदान देता है। कोरोना कालीन जैसे संकटकालीन परिस्थितियों में जब करोड़ों मजदूरों का जीविका छीन गई थी तो वह लोग अपने मूल गांव लौट जहां पर सरकार को उनकी आर्थिक सामाजिक एवं उनकी आजीविका की साधनों की व्यवस्था करनी थी अतः सरकार का ध्यान मनरेगा पर पड़ा अतः तत्कालीन समय में मनरेगा योजना के तहत 71,000 करोड़ 2019-20 में आवंटित किए गए थे। और 40,000 करोड़ अतिरिक्त धनराशि आवंटित किया गया। अतः यह कहा जा सकता है कि मनरेगा योजना तत्कालीन समय में ग्रामीण भारत की जीवन रेखा बन गया प्रवासी मजदूर और ग्रामीण गरीबों के लिए यह योजना एक मजबूत सहारा बना।

कोरोना कल ने हमें एक नई तरीके से रोजगार सृजित करने के लिए विवश किया। जिसमें स्वस्थ और स्वच्छ रह कर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया जाना था अथवा कोरोना काल में ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने एवं अपने आप को स्वस्थ रखने की चुनौती थी। अतः मनरेगा कोरोना कल में उत्पन्न हुई आर्थिक एवं स्वस्थ, स्वच्छता संबंधी चुनौतियों से निपटने में कारगर सिद्ध हुआ, मनरेगा योजना ने सबसे अधिक ग्रामीण जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। तात्कालिक समय में इस मनरेगा योजना ने बुनियाद ढांचे के विकास के साथ-साथ उन लोगों के आजीविका के साधन बने जो कोरोना के करण प्रवासी श्रमिकों के अपने मूल जन्म स्थान पर लौटने से वह बेरोजगार हो गए थे इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए मनरेगा योजना का योगदान सराहनी रहा तथा इसकी ग्रामीण भारत में भूमिका को देखते हुए इसे "ग्रामीण भारत की जीवन रेखा" के नाम से संबोधित किया जाने लगा।

साहित्यिक समीक्षा

मनरेगा योजना पर तत्कालीन समय में अनेक विद्वानों एवं संस्थाओं ने अध्ययन किया और शोध और विश्लेषण प्रस्तुत किए हैं। इन अध्ययनों से है स्पष्ट होता है कि मनरेगा योजना केवल आर्थिक ही नहीं परंतु सामाजिक न्याय एवं सामाजिक राजनीतिक एवं विकास का माध्यम बन चुका है।

1 वासुदेव गायत्री, गुप्ता गौरव, सिंह शानू

कोविद-19 और उसके बाद के समय में मनरेगा : क्या भारत कम संसाधनों से अधिक कर सकता है?

भारत में चल रहे रिवर्स माइग्रेशन के उत्पन्न आर्थिक समस्याओं से और मनरेगा खर्च को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई का आकलन करने का प्रयास इस शोध पत्र में किया गया। इस शोध पत्र में प्रवासियों की प्रोफाइल और लोगों के वापस प्रवास करने के क्षेत्र का विश्लेषण किया गया है, इस शोध पत्र में नए सामान्य से स्वास्थ्य सेवा स्वच्छता और सफाई जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया गया है।

2 बसोले अमित, नारायण राजेंद्र

कोविद-19 के दौरान रोजगार गारंटी 2020 के लॉकडाउन के बाद मनरेगा की भूमिका

इन्होंने अपने अध्ययन में मनरेगा की आवश्यकता और उपयोगिता पर महत्वपूर्ण शोध किया इन्होंने अपने अध्ययन के परिणाम में पाया कि मनरेगा में बड़े पैमाने पर अपर्याप्त स्थापित पोषण का भी पता चला इन्होंने मनरेगा से होने वाली आय में वृद्धि ब्लॉक के आधार पर आय के नुकसान को भी कस प्रतिशत तक की भरपाई करने में सक्षम रह सकतीहै।

3 डॉ सूर्य कुमार

मनरेगा में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण हेतु भागीदारी का अध्ययन (रायबरेली जिले की विशेष संदर्भ में)

इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि मनरेगा योजना में महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रावधानों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है जिसकी परिणाम स्वरुप मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी अपने आप रही है।

4 महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005:

मनरेगा योजना के प्रारंभिक अध्ययन से स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के लोगों को गारंटी कृत रोजगार उपलब्ध कराना अपने ग्रामीण प्रवेश में ही और इसके अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि सामाजिक विकास और लोक कल्याण के लक्ष्य को लेकर चलता है।

5 महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा 2(2012-2014)

यह अनुसंधान ग्रंथ अपने अध्ययन में पाया की नरेगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी सफल रहा इसके अध्ययन में शासन और कार्यकर्ताओं की क्षमता में कमी था। यह अनुसंधान से पता चलता है कि 87% कार्य के लिए क़च जैसी कार्यस्थल सुविधा चुनौती बनी हुई हैं। मंत्री का प्रतियोगिकी पहला द्वारा नरेगा योजना के संचालन में व्यापक सुधार लाया जा सकता है।

शोध का उद्देश्य

1 मनरेगा में कोरोना कल में किस तरह से अपनी सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को पूरा किया इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
2 कोरोना कल में मनरेगा में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरह स्थिर रख पाई इसका अध्ययन करना।
3 प्रवासी मजदूर और ग्रामीण गरीबों के लिए कोरोना कल में मनरेगा किस हद तक राहतकारी सिद्ध हुआ इसका विश्लेषण करना।
4 तत्कालीन समय में मनरेगा योजना पर सरकार की नीतियों का अध्ययन करना।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र मुख्यत: द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है द्वितीयक आंकड़े मुख्य रूप से किताबें, विभिन्न जनरल, शोध पत्रों, समाचार पत्रों, ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट्स आदि।

शोध मुख्यतः वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक है इस शोध पत्र कोरोना महामारी के दौरान मनरेगा की भूमिका का अध्ययन करने हेतु द्वितीयक प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

इसमें सरकारी पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों का तालिकाओं और ग्राफिक्स और प्रतिशत के रूप में व्यवस्थित किया गया है।

कोरोना काल आर्थिक प्रभाव एवं मनरेगा

कोरोना काल में भारत सहित विश्व की बड़ी-बड़ी या विश्व की अधिकांश देश में आर्थिक चुनौतियों को महसूस किया एवं कोरोना महामारी में है प्रभावित किया विशेष कर विकासशील देश इस महामारी से बहुत अधिक प्रभावित हुए भारत जैसे विकासशील देश जहां पड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा हो वहां इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिला था।

कोरोना काल में भारत में एक बहुत बड़ी रोजगार की संकट का सामना करना पड़ा जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। इस महामारी के दौर में मनरेगा में ग्रामीण भारत की एक बड़ी आबादी के लिए आर्थिक एवं रोजगार संबंधी सुरक्षा कवच एवं आय सहायता के प्रमुख साधन के रूप में काम आया।

मनरेगा ने कोरोना काल में ग्रामीण इलाकों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर रहे हैं सरकार ने 2021-22 के लिए मनरेगा योजना को 73000 करोड़ रुपए आवंटित किए। जो यह पिछले वित्त वर्ष से तकरीबन 35% कम थी वर्ष 2019-20 बीते वर्ष सरकार नित्य बजट 61.50 हजार करोड रुपए से बढ़कर 1. 01 लाख करोड रुपए आवंटितकिया।

इस कोरोना महामारी से उत्पन्न आर्थिक एवं पलायन संबंधी समस्याओं को कम करने में मददगार साबित हुआ मनरेगा भी एक वजह रहा कि कोरोना काल में उत्पन्न हुई बेरोजगारी एवं आर्थिक संकटों को कम करने में मनरेगा ने अपना अहम योगदान दिया।

प्रति व्यक्ति सृजित श्रमकार्य दिवस मनरेगा-कोरोना काल

क्र.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22
1	राजस्थान	3400.48	4605.35	4200.7
2	पश्चिम बंगाल	3900.36	4140.17	3985.22
3	उत्तर प्रदेश	2850.27	3945.41	3720.35
4	मध्य प्रदेश	2650.27	3420.21	3180.4
5	तमिलनाडु	2500.11	3339.46	3100.45
6	आंध्र प्रदेश	1850.6	2593.24	2110.47
7	बिहार	1560.33	2276.27	1955.11
8	उड़ीसा	1770.82	2080.27	1905.8
9	छत्तीसगढ़	1560.6	1840.9	1650.34
10	तेलंगाना	1350.1	1579.53	1450.62
11	कर्नाटक	1280.5	1480.32	1320.17
12	झारखंड	990.43	1176.62	150.8
13	महाराष्ट्र	590.64	679.37	640.12
14	केरल	900	1023	870.24

कोरोना काल में सामाजिक प्रभाव एवं मनरेगा

जब भारत में लॉकडाउन हुआ तो सबसे ज्यादा दिक्कत ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी करने वाले लोगों को हुआ। इन लोगों में रोजी-रोटी की संकट बढ़ता जा रहा था जो लोग शहर में फंसे थे उन्हें तो सरकार और विभिन्न स्वयंसेवी संगठन ऑन के माध्यम से सहायता मिल ही जाता था लेकिन जो लोग गांव में दूरी पर निर्भर थे उन्हें भूखे मरने की नौबत आ गई थी, इस परिस्थिति से बचने के लिए ग्रामीण भारत में मनरेगा योजना में एक नई उम्मीद का संचार किया और ग्रामीण भारत के जीवन रेखा के रूप में ग्रामीण भारत में तत्कालीन सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को काम करने में मनरेगा ने अपना अहम योगदान दिया।

तत्कालीन सामाजिक समस्याएं एवं उनके प्रभाव

समस्याएं	प्रभाव।
1 बेरोजगारी	भुखमरी, गरीबी, सामाजिक सुरक्षा
2 पलायन।	मानवीय संकट (भोजन,आश्रम स्वास्थ्य जोखिम,परिवहन)
3 स्वास्थ्य संकट	असमानता और भय
4 घरेलू हिंसा।	पारिवारिक तनाव।
5 सामाजिक दूरी।	अकेलापन और मानसिक तनाव

कोरोना काल में रिवर्स प्रवासन

"बड़े पैमाने में औद्योगिक महानगरों से अपने मूल क्षेत्र (गांव)कि ओर किया गया प्रवास को ही रिवर्स प्रवासन कहा जा सकता है।"
कोरोना महामारी के दौरान भारत ही नहीं वरन विश्व की अधिकांश देशों ने इससे निपटने के लिए लॉकडाउन जैसे विकल्प चुना।
इसी समय शहरी उद्योगों में कार्यरत श्रमिक वर्गों को पलायन जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लॉकडाउन के दौरान होने वाली पलायन समान्य परिस्थितियों से अपेक्षाकृत कहीं अधिक कष्टप्रद थी।
रोजगार पाने में बेहतर जीवन जीने की इच्छा में कामों से शहरों की ओर प्रवास होता देखा जाता है, परंतु लॉकडाउन के दौरान यह प्लान महानगरों से गांव की ओर हो रही थी। पलायन एक भयावह मानवीय संकट पैदा कर दिया था। लॉकडाउन के दौरान काम धंधे बंद होने की वजह से श्रमिकों का बहुत बड़ी संख्या हजार किलोमीटर दूर अपने घर के लिए पैदल ही सड़कों पर निकल पड़े। इसी प्रवासी संकट को देखकर तथा इससे दूर करने के लिए सरकार "आत्मनिर्भर योजना" के तहत मनरेगा योजना को 40000 करोड़ के अतिरिक्त प्रोत्साहन पैकेज आवंटित किया।

रिवर्स प्रवासन से उत्पन्न चुनौतियां

1 उत्पादन के क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव
मजदूरों के गांव की तरफ प्रवास में उद्योग केन्द् में पर्याप्त मजदूर ना होने के कारण उद्योगों में उत्पादन के काम हेतु मजदूर नहीं बचे इस कारण से भारी मात्रा में उद्योग धंधे बंद हो गए अर्थात इसी कारण उत्पादन में भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

2 कृषि पर नकारात्मक प्रभाव
पंजाब हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश में कृषि हेतु बड़े पैमाने में सिर्फ आंखों की आवश्यकता होती है अर्थात जब लॉकडाउन लगा तो श्रमिक वर्ग के लोग अपने मूल गांव की ओर प्रवास कर गए जिसने बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र को भी प्रभावित किया।
3 राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक भार श्रमिकों की गांव की ओर पलायन से कई बड़े राज्य जहां रोजगार के अवसर की कमी रहती है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों पर इस पर भीषण रोजगार का संकट पैदा कर दिया। इन राज्यों में अपेक्षाकृत औद्योगिकीकरण में पिछड़े हुए हैं, अर्थात रिवर्स प्रवासन ने इन राज्यों पर एक आर्थिक एवं रोजगार की समस्या ने नई चुनौती पैदा कर दिया।

रिवर्स प्रवासी श्रमिकों की अनुमानित आंकड़े

क्र.	रिवर्स प्रवासन राज्य	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत	मुख्य स्रोत राज्य
1	उत्तर प्रदेश	30 से 35 लाख	35.7%	महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, पंजाब
2	बिहार	20 से 25 लाख	25.5%	दिल्ली महाराष्ट्र पंजाब हरियाणा
3	झारखंड	8 से 10 लाख	12.2%	महाराष्ट्र दिल्ली गुजरात
4	मध्य प्रदेश	6 से 8 लाख	10.2%	महाराष्ट्र गुजरात
5	उड़ीसा	6 से 7 लाख	8.2%	महाराष्ट्र केरल गुजरात
6	राजस्थान	5 से 6 लाख	7.1%	महाराष्ट्र दिल्ली गुजरात
7	पश्चिम बंगाल	5 से 7 लाख	6.1%	दिल्ली महाराष्ट्र
8	छत्तीसगढ़	2.7लाख	.82%	महाराष्ट्र तेलंगाना
9	उत्तराखंड	1.5 लाख	3.1%	दिल्ली पंजाब
10	असम	1 से2 लाख	2.0%	दिल्ली महाराष्ट्र

तत्कालीन समय में मनरेगा के संबंध में सरकार की नीतियां

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा था कि कोविद-19 महामारी के दौरान पूरे भारत के प्रवासी श्रमिकों के लिए कल्याण एवं रोजगार के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए हैं जो निम्नलिखित हैं

1 निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों की सहायता

लॉकडाउन के बाद श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा था कि वह भवन निर्माण और अन्य निर्माण मजदूरों को उपकार निधि से निर्माण श्रमिकों को वित्त सहायता प्रदान करें।

तत्कालीन समय में लगभग दो करोड़ प्रवासी श्रमिकों को भिन्न-भिन्न राज्यों द्वारा पोषित की जा रही भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक उपकार निधि से 5000 करोड़ सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में प्रदान कर दिए गए थे।

2 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ

इस योजना के तहत 80 करोड लोगों को 5 किलोग्राम गेहूं चावल और 1 किलोग्राम दालें उपलब्ध कराया गया। और यह घोषणा किया गया कि सभी लाभार्थियों को यह खाद्यान्न नवंबर 2020 तक प्रदान किया जाएगा सरकार का उद्देश्य सुनिश्चित करना था कि इस महामारी के दौरान कोई भी बिना भोजन के ना रहे।

अर्थात लॉकडाउन के बाद 1.7 लाख करोड रुपए की पैकेज इस योजना के तहत गरीब जरूरतमंद और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रदान किया गया।

और अपने राज्य लोटे श्रमिकों की सहायता के लिए 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अधिनियम' को देश के 116 जिलों में शुरू किया गया।

इस अभियान के तहत प्रवासी श्रमिकों की भागीदारी से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना था, और इसका उद्देश्य 50000 करोड रुपए की धनराशि खर्च किया जाना था।

3 शिकायत निवारण तंत्र

लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों की शिकायतों के निवारण के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने पूरे देश में 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए थे।

लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों की 15000 से अधिक शिकायतों को इस नियंत्रण कक्षो के माध्यम से निवारण किया गया, और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की हस्तक्षेप से 2 लाख से अधिक श्रमिकों को लगभग 295 करोड़ की धनराशि प्रदान किया गया।

4 तत्कालीन समय में मजदूरी दरों मैं वृद्धि की गई जो 182 रुपए थी उसे बढ़ाकर ₹200 तक कर दिया गया।

5 आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का शुभारंभ

आत्मनिर्भर भारत के तहत खासतौर पर प्रवासी श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रदान करने की घोषणा की गई थी। इस योजना के माध्यम से मनरेगा को 40000 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई।

इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य जो श्रमिक रिवर्स प्रवासन के माध्यम से अपने गांव पहुंच गए हैं, उनको और मनरेगा योजना से जुड़े श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाना था, एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करनी थी।

निर्माण कार्य जैसे जल संरक्षण सड़क निर्माण तालाब खुदाई जैसी कारों को और तेजी प्रदान करना था।

इस योजना ने मनरेगा जैसी कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के असंगठित श्रमिकों गरीबों को तत्कालीन राहत प्रदान किया।

मनरेगा योजना की तात्कालिक समस्याएं

मनरेगा योजना ने कोरोना कल के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने में अपना अहम भूमिका निभाई लेकिन धन प्रबंधन और पारदर्शिता की कमजोरियां इस संकट के समय में स्पष्ट रूप से दिखाई दिए।

क	कमी	वितरण	प्रभाव
1	धन की कमी	यह योजना केन्द्र सरकार की दया पर चलती है,कई राज्यों में धन की कमी।	कार्य रुक गए, मजदूरी समय पर नहीं मिल पाया।
2	श्रम भूकतान में देरी	तात्कालिक समय में श्रम का भूगतान में 2-3 महिने कि देरी।	श्रमिकों कि आर्थिक स्थिति में नकारात्मक प्रभाव
3	तकनीकी कमियां	नेटवर्क समस्याएं आधार लिंक आनलाइन उपस्थिति एवं भुगतान जैसी समस्याएं।	कई श्रमिकों का भुगतान नहीं हो पाया।
4	पारदर्शिता में कमी एवं भ्रष्टाचार	फर्जी,जॉब कार्ड, बिना श्रम के भुगतान कई तकनीकी शिकायते मिलना।	यह योजना पर लोगों का विश्वास में कमी।
5	सीमित कार्य दिवस	रिवर्स प्रवास से मनरेगा में श्रमिकों कि संख्या बढ़ गई और परियोजनाएं काम ही थी।	सभी को 100 दिन का रोजगार प्राप्त नहीं हुआ।
6	महिला श्रमिकों की भागीदारी में कमी	कोरोना कल में घरेलू जिम्मेदारियां के कारण महिलाओं की भागीदारी में कमी।	महिला सशक्तिकरण पर असर पड़ा।
7	कोरोना काल में योजना की मांग में असंतुलन	रिवर्स प्रवासी श्रमिकों के कारण अचानक ही श्रम की मांग में भारी वृद्धि हुई जिस के लिए योजना तैयार नहीं थी।	बेरोजगारी और आर्थिक असमानता देखा गया।

निष्कर्ष

कोरोना कल के दौरान जब संपूर्ण विश्व रूक गई थी तब भारत में भी इसका व्यापक प्रभाव देखा गया, यहां के उद्योग कारखाने भी बंद होने लगे थे, और लाखों कारखाने के श्रमिक शहरों से अपने मूल गांव की ओर प्रस्थान करने लगे थे तब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ने ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था के संचालन में अपना अहम योगदान दिया।

तत्कालीन समय में सरकार ने मनरेगा योजना की बजट में भारी वृद्धि करी जो कि वित्त वर्ष 2020-21 में 1.11 करोड रुपए आवंटित किए गए थे। जो अब तक के इतिहास में सर्वाधिक बजट रहा। यह राशि के माध्यम से 390 करोड़ कार्य दिवस का सृजन किया गया। जिससे ग्रामीण क्षेत्र के असंगठित श्रमिकों को तुरंत रोजगार प्राप्त हुआ एवं नगद भुगतान किया गया।

मनरेगा योजना की एक और अभूतपूर्व उपलब्धि यह रही कि इसने रिवर्स प्रवास के माध्यम से आए श्रमिकों को अपने मूल गांव में ही रोजगार उपलब्ध करवाया। जिससे ग्रामीण क्षेत्र के मूलभूत ढांचे के निर्माण में तेजी आई इस योजना के माध्यम से तालाब, कुआं,वृक्षारोपण, भवन निर्माण, सड़क निर्माण जैसे कार्यों को किया गया। इससे न केवल स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ, बल्कि रोजगार भी प्राप्त हुआ और ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित रखा गया।

इस योजना की अंतर्गत तत्कालीन समय में महिला श्रमिकों की भागीदारी में अभूतपूर्व वृद्धि देखीगई, जिससे महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ।

तत्कालीन समय में मनरेगा योजना को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा जैसे कि भुगतान की समस्या जो समय में नहीं हो पा रहा था, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य उपायों की समस्या, कार्यस्थल पर पर्याप्त सामग्री की उपलब्धता में कमी।

इन कठिनाइयों की बावजूद भी मनरेगा योजना की भूमिका ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं संरचनात्मक ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे कोरोना जैसे महामारी से उत्पन्न आर्थिक ,सामाजिक चुनौतियों से निपटने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

अंततः यह कहा जा सकता है कि-

"कोरोना कल जैसे भैयावह स्थिति में जब पूरे देश में अनिश्चित एवं भाय की दोर से गुजर रहा था तब मनरेगा योजना ने ग्रामीण भारत के करोड़ों श्रमिकों को रोजगार एवं सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान किरवाया।"

इस तरह से कहा जा सकता है, कि तत्कालीन परिस्थितियों में मनरेगा योजना ग्रामीण भारत के जीवन रेखा के रूप में उभरा।

संदर्भ सूची

1. State of working India 2021: 1 year of covid 19(ajim Premji University May 2021)
2. Challenges of reverse migration in India: a comparative study of internal and international migrant workers in the post-COVID economy- 3 November 2021. (Khan Asma)
3. Mumbai quantitative results. December 2023
4. Assessing the portability of Social protection and services for Children affected by migration 2021 (Gupta atrendra and others)
5. . performance audit of manrega (CAG report 2021 -22)
6. www .nrega nic.in
7. Impact of covid-19 on rural development and manrega expenditure -2020 (reserve Bank)
8. Niti aayog annual report - 2021- 22
9. Urban to rural COVID-19 progression in India: The role of massive migration and the challenge to India's traditional labour force policies. - September 2021 (saaho Kumar Praful and others)
10. Indian labour year book 2020 -21 (ministry of labour and employment)
11. THE CONTINUING RELEVANCE OF MGNREGA (NARAYANAN SUDHA)
12. Efficacy of MGNREGA in mitigatin the loss in income and unemployment caused by the COVID-19 pandemic

    (Kritika Shukla and Vedika Tibrewala)
13. MGNREGA in the Times of COVID-19 and Beyond: Can India do More with Less? (Vasudevan Gayatri) September 2020
14. MGNREGA: The Guaranteed Refuge for Returning Migrants During COVID-19 Lockdown in India (lokendra Nitin and others) June 2021
15. More Persondays Generated under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme(pib gov.in 30 January 2024)
16. Open government data platform India (data.gov.in)
17. Migration in India, 2020-2021(pib .gov .in Jan 2022)
18. यह योजना महामारी के दौरान और समाज के सर्वाधिक संवेदनशील वर्गों को जरूरी सहायता प्रदान करने में विशेष तौर पर उपयोगी साबित हुई (business standard 30 October 2024)
19. मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण(drishtiias.com)
20. कोविड-19 के समय में नरेगा रोजगार की बढ़ती मांग (वसिष्ठ के अविनाश
21. कोविड-19 और उसके बाद के समय में मनरेगा: क्या भारत कम संसाधनों से अधिक कर सकता है?(वासुदेवन गायत्री ,शानू सिंह)
22. Coronavirus Lockdown hits NREGA workers hard (The Hindu 30 March 2020) .

23. MGNREGS made up for up to 80% income loss during pandemic: study (The Hindu 14 October 2022
24. मनरेगा, जरूरी या मजबूरी-1: 85 फीसदी बढ़ गई काम की मांग(Down to the earth-Hindi 1 July 2020)
25. Employment guarantee during Covid-19(Indian waterportal 15 October 2022)
26. कोरोना: लॉकडाउन में मनरेगा योजना बन गई है मज़दूरों की लाइफ़लाइन (BBC News 10 May 2020)